



कुलसचिव कार्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ-226007

57

पत्रांक R-38804-14
दिनांक 08/06/17

कार्यालय ज्ञाप

मानव संसाधन विकास मंत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण, निषेध एवं इससे सुधार) विनियम-2015 की अधिसूचना को प्रभावीरूप से लागू करने हेतु मा० कुलपति जी ने विश्वविद्यालय में एक शिकायत सम्बन्धी आन्तरिक शिकायत समिति/प्रकोष्ठ का पुर्नर्गठन किया है जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे:-

- 01-प्रो० आभा विश्नोई, रसायन शास्त्र विभाग, ल० वि० वि० ।
02-डा० निशान्त हैदर, अंग्रेजी विभाग, ल० वि० वि० ।
03-प्रो० एन० के० खरे, रसायन शास्त्र विभाग, ल० वि० वि० ।
सदस्य,

अध्यक्ष,
सदस्य,

शिक्षणेत्तर

- 01-डा० भावना मिश्रा, उप कुलसचिव(प्रशा०), ल० वि० वि० ।
02-श्री वी० डी० दूबे, पर्वक्षक/प्रभारी, इंजीनियरिंग संकाय, ल० वि० वि० ।-

सदस्य,
सदस्य,

वाह्य सदस्य

- डा० राकेश जैन, जनरल सेक्रेटरी, आर.एस.वी.आई.
ए. 303 गोपाला अपार्टमेन्ट, नरही,
लखनऊ यू०पी० मो० 9455787900

सदस्य


(प्रो० आर० के० सिंह)
कुलसचिव

सं०-----

दि०-----

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 01-सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के सूचनार्थ ।
02-निदेशक, आई.पी.पी.आर. को जनसूचनार्थ प्रेषित ।
03-कुलानुशासक, ल० वि० वि० ।
04-उपरोक्त समिति के सम्मानित सदस्यगण ।

05-प्रो० अमिता बाजपेयी, आचार्य शिक्षा शास्त्र विभाग, ल० वि० वि० को इस आशय से प्रेषित कि मा० कुलपति जी ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर संदर्भित समिति के अध्यक्ष पद से उन्हें कार्यमुक्त कर दिया है ।

कुलसचिव

नोट:-समिति के वाह्य आगन्तुक सदस्य को समिति के बैठक के दिन/प्रतिदिन विश्वविद्यालय के नियमानुसार रू०-1000/-पारिश्रमिक देय होगा ।